उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक ...बी/2973...../
दो–15–40/95

जबलपुर, दि0 27.मई 2017

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राज्य के समस्त (म0प्र0) ।

विषय :– **न्यायालयों से संबंधित कैशलैस प्राप्तियों के लिये अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अधिवक्तागण का प्रशिक्षण के** संबंध में ।

संदर्भ :– म0 प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल का पत्र क्रं0 2200 / 21–ब (एक)/2017 दिनांक 24.05.2017 ।

– – – – 00 – – – –

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहपत्र सहित प्रेषित करते हुये अवगत कराया जाता है, कि विधि विभाग के उक्त ज्ञापन के अनुसार जिला न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अधिवक्तागण को जून 2017 से सितम्बर 2017 के मध्य जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम माह के शनिवार (अकार्य दिवसों) में सांय 4.00 बजे के पश्चात आयोजित किया जाना है । साथ ही जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव की ओर शासन के उक्त ज्ञापन की छायाप्रति सहपत्र सहित प्रेषित करते हुये, प्रशिक्षण हेतु जिला मुख्यालय तथा बाह्य न्यायालयों के 10 अधिवक्तागणों के नामों की सूची प्राप्त कर रजिस्ट्री को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

यह भी निवेदन है कि, जिला मुख्यालय/बाह्य न्यायालय/कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों का प्रस्ताव, उनके पदनाम, प्रस्तावित प्रशिक्षण तिथि सहित रजिस्ट्री को दो–दो प्रतियों में भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

27.05.17
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

क्रमांक .बी/2974.../
दो–15–40/95

जबलपुर, दि0.27.मई 2017

प्रतिलिपि :– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, (राज्य के समस्त)को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक ...बी/2973...../ जबलपुर, दि0 27.मई 2017
दो–15–40/95

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राज्य के समस्त (म0प्र0) ।

विषय :– **न्यायालयों से संबंधित कैशलैस प्राप्तियों के लिये अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अधिवक्तागण का प्रशिक्षण के** संबंध में ।

संदर्भ :– म0 प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल का पत्र कं0 2200 / 21–ब (एक)/2017 दिनांक 24.05.2017 ।

– – – – 00 – – – –

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहपत्र सहित प्रेषित करते हुये अवगत कराया जाता है, कि विधि विभाग के उक्त ज्ञापन के अनुसार जिला न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अधिवक्तागण को जून 2017 से सितम्बर 2017 के मध्य जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम माह के शनिवार (अकार्य दिवसों) में सांय 4.00 बजे के पश्चात आयोजित किया जाना है । साथ ही जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव की ओर शासन के उक्त ज्ञापन की छायाप्रति सहपत्र सहित प्रेषित करते हुये, प्रशिक्षण हेतु जिला मुख्यालय तथा बाह्य न्यायालयों के 10 अधिवक्तागणों के नामों की सूची प्राप्त कर रजिस्ट्री को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

यह भी निवेदन है कि, जिला मुख्यालय/बाह्य न्यायालय/कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों का प्रस्ताव, उनके पदनाम, प्रस्तावित प्रशिक्षण तिथि सहित रजिस्ट्री को दो–दो प्रतियों में भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

क्रमांक .बी/2974.../ जबलपुर, दि0.27.मई 2017
दो–15–40/95

प्रतिलिपि :– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, (राज्य के समस्त)को सूचनार्थ अग्रेषित ।

27.05.17
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 2200 /21-ब(एक)/2017 भोपाल, दिनांक 24.05.2017

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर

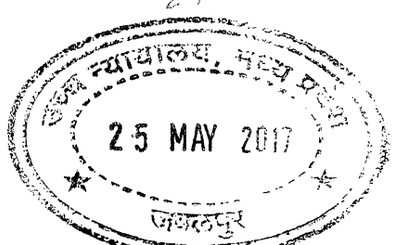

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश
25 MAY 2017
जबलपुर

विषय :- न्यायालयों से संबंधित केशलैस प्राप्तियों के लिए अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

संदर्भ :- आयुक्त कोष एवं लेखा की टीप क्रं. DTA/IFMIS/185 दिनांक 16.05.2017 एवं विभागीय बैठक दिनांक 22.05.2017 में लिए गए निर्णय।

----------00---------

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायाधिपतिगण, मुख्य सचिव महोदय एवं अन्य विभागों के साथ सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेंसिंग दि. 09.05.2017 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा संलग्न संदर्भित टीप के माध्यम से प्राप्तियों को पूर्णतः केशलैस करने के लिये सायबर कोषालय की प्रक्रिया का समस्त अधिकारी जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण जून 2017 से सितम्बर 2017 के मध्य जिला स्तर पर रखा जाना प्रस्तावित करते हुए तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम ... के लिये अनुरोध किया गया है।

अतः कृपया आयुक्त कोष एवं लेखा के उपरोक्त प्रस्ताव एवं दिनांक 22.05.2017 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय बिंदू क्रं.-1 (कार्यवाही विवरण संलग्न) के अनुपालन में समस्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारियों को जून 2017 से सितम्बर 2017 के मध्य प्रशिक्षण देन हेतु जिलावार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार.

(आर.के. वाणी)
सचिव,
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Urgent
S.O (D.E)
26.05.17

25 MAY 2017
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

Reg (DE)/O.S.D (DE)/ Reg ...
O.S.D. (A/C)

विषय :— न्यायालयों से संबंधित केशलेस प्राप्तियोकं के लिये अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण।

दिनांक 09 मई, 2017 को मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि न्यायालयों से संबंधित प्राप्तियों को पूर्णतः केशलैस करने के लिये सायबर कोषालय की प्रक्रिया का प्रशिक्षण अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को जिलास्तर पर प्रशिक्षण दिया जाये।

2— अधीनस्थ न्यायालयों में जमा की जाने वाली राशियॉं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है :

1.न्यायिक शुल्क के रूप में, न्यायिक मुद्रांकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशियॉं।

2.न्यायालयों में विभिन्न प्रकरणों में वादी/पक्षकारों द्वारा न्यायालय के आदेश पर जमा की जाने वाली राशियॉं। उपर्युक्त में से न्यायिक मुद्रांक को इलेक्ट्रॉनिक करने के संबंध में प्रभारी पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा विकसित की गई है उससे संबंधित साफटवेयर "ई संपदा" का इन्टीग्रेशन सायबर कोषालय के साथ है। जबकि न्यायालयों में प्राप्त होने वाली अन्य राशियों के जमा की सुविधा सायबर कोषालय में प्रदत्त है तथा इस हेतु पृथक "आईकॉन" रखा गया है, जिसके माध्यम से 14 बैंकों के खाताधारकों द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे राशि जमा की जा सकती है तथा राज्य शासन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है फलस्वरूप 40 से अधिक अन्य बैंकों के खाताधारकों तथा डेबिट कार्ड होल्डर्स द्वारा राशि सीधे सायबर कोषालय में जमा की जा सकती है। इसके साथ ही रूपये 10,000/— से कम की राशि एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से सायबर कोषालय में जमा की जा सकती है। राशियॉं जमा करने के लिये सायबर कोषालय का नेवीगेशन परिशिष्ठ — 1 पर संलग्न है।

3.प्राप्तियों को पूर्णतः केशलैस करने के लिये सायबर कोषालय की प्रकिया का समस्त अधीनस्थ जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण जून 2017 से ~~अगस्त~~ सितम्बर 2017 के मध्य जिला स्तर पर रखा जाना प्रस्तावित है। तदनुसार प्रशिक्षण कार्यकम बनाने के लिये विधि विभाग को अनुरोध किया जा सकता है।

(जे0के0 [illegible])
अपर संचालक

आयुक्त महोदय,

कृपया मीटिंग मे दिये निर्देश के क्रम में 'A' के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहेंगे।

सुखबीर सिंह
आयुक्त,
कोष एवं लेखा, म. प्र.

Sec (B-1)